


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2022	<p>प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।</p> <p>तहसीलदार गुड़ामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा भाखरपुरा के खसरा नंबर 491 में से रकबा 30-00 बीघा भूमि की अप्रार्थी की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने हेतु पेश किया गया है।</p> <p>हमने राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रेकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा भाखरपुरा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 491 रकबा 2319-06 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां हैं, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आलौच्य आवंटन से सम्बन्धित विवादित भूमि संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 के प्रथम बंदोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी ने इस संबंध में कोई जाँच नहीं कर बिना कोई रेकॉर्ड, कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को ग्राम भाखरपुरा नवसृजित ग्राम खारवा के खसरा नं. 491/39 रकबा 30-00 बीघा भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात् प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।</p> <p>आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   <b>जिला कलक्टर</b>  <b>बाडमेर</b> </p>	

